सीबीआई के लिये सामान्य सहमति सिद्धांत

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मामलों की जाँच के लिये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिये सामान्य सहमति पुनर्स्थापित करेगी।

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना **(DSPE) अधिनियम, 1946** की धारा 6 के तहत राज्य सीबीआई को अपनी सामान्य सहमति देते हैं।

मुख्य बिंदु:

- मार्च 2023 तक मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय ने सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी।
- **CBI के लिये सामान्य सहमति सिद्धांत:**
    - CBI के लिये राज्य सरकार की **सहमति विशिष्ट या "सामान्य" मामले में हो सकती है।**
    - आमतौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्यों में **केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जाँच** में CBI की सहायता प्राप्त करने के लिये सामान्य सहमति दी जाती है।
    - यह **अनिवार्य रूप से डिफॉल्ट के रूप में सहमति है, जिसका अर्थ है कि CBI पहले से दी गई सहमति के आधार पर जाँच प्रारंभ** कर सकती है।
    - सामान्य सहमति के अभाव में **CBI को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में छोटी-छोटी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार की सहमति** की आवश्यकता होगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/general-consensus-principles-for-cbi